

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), 30प्र0।

पंचायतीराज, अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक 25 अप्रैल, 2018

विषय:-स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) कार्यक्रम के गोबर-धन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (STAC) का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या:-11017/33/ 2016-Cord. Pt (1) दिनांक 08.03.2018 में दिये गये निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधि के रूप में संचालित होने वाली गोबर-धन योजना के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं आवेदनकर्ताओं के आवेदन पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (STAC) का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | |
|--|------------|
| 1-मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)- | संयोजक |
| 2-उप निदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 30प्र0- | सदस्य सचिव |
| 3-निदेशक, पशुपालन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 4-निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता- | सदस्य |
| 5-निदेशक, कृषि अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 6-30प्र0 तकनीकी विश्व-विद्यालय द्वारा नामित सिविल प्रोफेसर/लेक्चरर- | सदस्य |
| 7-सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 8-स्टेट एस0एल0डब्लू0एम0 कन्सल्टेन्ट, एस0बी0एम0(जी0)- | |
| सदस्य | |

2- उक्त समिति के दायित्व निम्नलिखित होंगे-

- क)-जनपदों से प्राप्त डी.पी.आर. का अनुमोदन।
- ख)-प्रदेश में गोबर-धन योजना के क्रियान्वयन में नीतिगत एवं प्रगति लाने हेतु आवश्यक सहायता।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ग)-अनुमोदित परियोजनाओं को समयान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

घ)-गोबर-धन योजना की प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

अतः कृपया उक्त गठित समिति के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गोबर-धन योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर मुख्य, सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/कृषि/पशुपालन/ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2-समस्त मण्डालयुक्त, उ0प्र0।

3-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4-निदेशक कृषि विभाग, उ0प्र0।

5-निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

6-निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी विश्व-विद्यालय, उ0प्र0।

7-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उ0प्र0।

8-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

9-उप निदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

10-समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

11-स्टेट एस0एल0डब्लू0एम0 कन्सल्टेन्ट, एस0बी0एम0(जी0), उ0प्र0।

12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।